भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

एलएंडडीओ सं. /11-3(15)/2000-सीडीएन दिनांकितः 19.04.2000

कार्यालय आदेश सं. 5/2000

विषयः परिशोधित भूमि किराए पर ब्याज प्रभारित करना – के संबंध में।

ऐसा देखा गया है कि परिशिष्ट-XII के तहत पट्टे के कुछ मामलों में परिशोधित भूमि किराए पर ब्याज प्रभारित किया गया है चाहे, पट्टेदार को परिशोधित भूमि किराए की राशि की जानकारी नहीं दी गई थी।

2. ब्याज केवल तभी प्रभारित किया जा सकता है यदि पट्टेदार द्वारा देयों के भुगतान में कोई विलंब हुआ है। जबकि, भूमि किराए के भुगतान में विलंब के लिए ब्याज प्रभारित किया जा सकता है, जिसका भुगतान पट्टेदार को बिना औपचारिक नोटिस करना होता है, परिशोधित भूमि किराए के मामले में, ब्याज केवल तभी प्रभारित किया जा सकता है, यदि पट्टेदार को परिशोधित भूमि किराए की दर की सूचना दिए जाने के बाद इसके भुगतान में विलंब किया गया हो। अतः, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ए.जी.आर. की मांग केवल ऐसे मामलों में की जाती है जिनमें ए.जी.आर. की दर की सूचना पट्टेदार को दी गई है और यदि इसके भुगतान में विलंब हुआ है।

3. भूमि एवं विकास कार्यालय के अनुमोदन से जारी किया गया।

(वी. श्रीकुमार)
जन संपर्क अधिकारी

सभी अधिकारी/अनुभाग